34- पक्षकारों के द्वारा नियुक्त मध्यस्थों का पंचाट (Award)

.....मध्यस्थ.....के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम के विषय में तथा .....के क ख.....तथा.....के ग घ के मतभेद के विषय में। चूंकि उक्त क ख तथा ग घ के दिनांक.....के एक लिखित करार के अनुसार मुझे, अर्थात्.....को उक्त करार में निर्दिष्ट मामलों पर निर्णय तथा अन्तिम पंचाट देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया; और चूंकि मैंने.....अपने ऊपर उक्त निर्देश का भार ले लिया है और समस्त मौखिक तथा लेख्य साक्ष्य (documentary evidence) पर, जिन्हें पक्षकारों ने प्रस्तुत या दाखिल किया, विचार किया तथा पक्षकारों की सुनवायी (hearing) के पश्चात्– एतद्द्वारा, मुझको उपर्युक्त रीति से निर्दिष्ट मामलों पर तथा उनके विषय में अपना अन्तिम लिखित रूप में निम्नलिखित पंचाट देता हूँ तथा प्रकाशित करता हूँ:– मैं पंचाट देता हूँ और निदेश देता हूँ :–

(1) यह कि उक्त निर्देश की मद संख्या.....को मैं पूर्णतः अस्वीकार करता हूँ और उस पर क ख के विरुद्ध और ग घ के पक्ष में निर्णय देता हूँ।

(2) यह कि उक्त निर्देश की मद संख्या.....के विषय पर मैं..... (यहाँ सीमा लिखिये) सीमा तक समनुज्ञा (allow) देता हूँ और उसी सीमा तक क ख के पक्ष में निर्णय देता हूँ।

(3) यह कि उक्त निर्देश की मद संख्या.....के विषय में मैं पूर्ण रूप से ग घ के विरुद्ध तथा क ख के पक्ष में निर्णय देता हूँ।

द्वितीय– यह कि मैं विस्तृत रूप से ऊपर उल्लिखित सभी मदों के लिए.....रु0 की धनराशि क ख को देने की अनुमति देता हूँ।

तृतीय– यह कि प्रत्येक पक्षकार अपने–अपने खर्चे को स्वयं वहन करेगा।

चतुर्थ–यह कि इस पंचाट पर देय स्टाम्प शुल्क का खर्च क ख वहन करेगा..... जिसे धनराशि की स्टाम्प के रूप में पहले ही अदायगी की जा चुकी है।इस पंचाट के साक्ष्य स्वरूप 20.....के.....के दिन मैंने हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षरित)

मध्यस्थ ..... की मौजूदगी में हस्ताक्षरित तथा प्रकाशित साक्षी 1/2 (हस्ताक्षरित)